M87/DY, Mar-15

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2016

INCOME-TAX

S.O. ___(E).— In exercise of the powers conferred by section 35, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (10th Amendment) Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the 1st day of July, 2016.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the said rules), in rule 6,—

(a) in sub-rule (7), for the words and brackets "Director General (Income-tax Exemptions)" wherever they occur, the words "Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax or Principal Director General of Income-tax or Director General of Income-tax having jurisdiction over the sponsor" shall be substituted;

(b) in sub-rule (7A),—

(A) for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(b) The prescribed authority shall furnish electronically its report,—

(i) in relation to the approval of in-house research and development facility in Part A of Form No. 3CL;

(ii) quantifying the expenditure incurred on in-house research and development facility by the company during the previous year and eligible for weighted deduction under sub-section (2AB) of section 35 of the Act in Part B of Form No.3CL;

(ba) The report in Form No.3CL referred to in clause (b) shall be furnished electronically by the prescribed authority to the Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax or Principal Director General of Income-tax or Director General of Income-tax having jurisdiction over such company within one hundred and twenty days,—

PS
29/4

(i) of the grant of the approval, in a case referred to in sub-clause (i) of clause (b);

(ii) of the submission of the audit report, in a case referred to in sub-clause (ii) of clause (b);";

(B) in clause (c), for the words, figures and letters "a copy thereof shall be furnished to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research by 31st day of October of each succeeding year", the words, figures, letters and brackets "a report of audit in Form No.3CLA shall be furnished electronically to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research on or before the due date specified in *Explanation* 2 to sub-section (1) of section 139 of the Act for furnishing the return of income, for each succeeding year" shall be substituted;

(c) after sub-rule (7A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"8. For the purposes of this rule, the Principle Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data, and shall also be responsible for the day-to-day administration in relation to furnishing the information in the manner so specified.".

3. In the said rules, in Appendix II,—

(a) in Form No.3CK,—

(i) in Part A, for item 3, the following shall be substituted, namely:—

"3. Address, phone number of the Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax or Principal Director General of Income-tax or Director General of Income-tax having jurisdiction over the company.

3A. Please specify the nature and business/activity of the company—

(a) business of bio-technology

(b) manufacture/production of article or things (Please specify the product).";

(ii) in Part B,—

(A) for items (ii) and (iii), the following shall be substituted, namely:—

"(ii) the above Research and Development facility shall be exclusively used by the First Party to carry out scientific research relating to bio-technology or manufacture or production of any eligible article or thing under sub-section (2AB) of section 35 of the Act,

(iii) the First Party shall provide full co-operation to the Second Party in carrying out the Research and Development work relating to bio-technology or manufacture or production of eligible article or thing under sub-section (2AB) of section 35 of the Act,";

(B) in item (v), for the words and brackets, "Director General of Income-tax (Exemptions) within a period of sixty days", the words "Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax or Principal Director General of Income-tax or Director General of Income-tax having jurisdiction over the First Party within a period of one hundred and twenty days" shall be substituted;

(iii) in Part C, for items (iii) and (iv), the following shall be substituted, namely:—

"(iii) render full co-operation in carrying out the Research and Development work relating to bio-technology or manufacture or production of any eligible article or thing under sub-section (2AB) of section 35 of the Act;

(iv) ensure that the company does not manufacture any product listed in the Eleventh Schedule of the Act;

(v) ensure that the company shall reflect the capital and revenue expenditure on in-house research and development facility in the schedules/notes to accounts in the audited financial statement of the company prepared for the purposes of its annual report and for the purposes of computation of income-tax;

(vi) submit the information as per Annexure-I and Annexure-II every year for the approved period on or before the due date specified in *Explanation* 2 to sub-section (1) of section 139 of the Act for furnishing the return of income;

(vii) ensure that the assets acquired by the approved facility will be utilised only for the approved purpose and shall not be disposed of without the approval of the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.";

(iv) after Part C, the following shall be inserted, namely:—

"Annexure-I

(a) Information to be furnished separately in respect of each research and development facility approved by prescribed authority under section 35(2AB) of the Act.

1. Name and address of the registered office of the company

2. Permanent Account Number of the company

3. Previous year

4. Assessment year

5. A brief note on progress of each of the projects shown in the application to the prescribed authority at the time of approval. Any changes with regard to the scope of the projects as originally envisaged may be highlighted.

6. Details of any additional projects taken up during the previous year.

7. Details of changes, if any, in the research and development infrastructure during the previous year.

8. Details of research and development achievements and technologies commercialised during the previous year.

9. Details of patents obtained and/or filed during the previous year.

10. Details of any other changes in the approved research and development centre.

I certify that the above details are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Principal Officer of the company
(Name, designation and address)

Date:

Place:

Annexure-II

Details of expenditure incurred on the research and development facility centre approved by the prescribed authority under section 35 (2AB) of the Act.

1. Assessment year: 2. Previous year:

3. Location of the research and development facility:

4. Details of expenditure: (in Rs. Lakhs)

A. (i) Land

(ii) Buildings

B. Capital Expenditure:

(i) Equipment

(ii) Others

(a)......................

(b)......................

(c)......................

(iii) Total

C. Revenue expenditure:

(a)......................

(b)......................

(c)......................

Total

D. Total expenditure on the approved research and development centre (excluding land and building)

E. Details of assets disposed off/ transferred.

I certify that above expenditure claimed is as per the guidelines issued by Department of Scientific and Industrial Research and is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Principal Officer of the company

(Name, designation and address)

Date:.........

Place:.........";

(b) For form No.3CL, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM NO. 3CL

[*See* rule 6]

Report to be submitted by the prescribed authority to the Income-tax Authority specified under section 35(2AB) of the Income-tax Act, 1961

1. Name and address of the registered office of the company including Telex/Fax/Phone numbers

2. Permanent Account Number (PAN) of the company

3. Name and designation of the Principal Officer of the company

4. Nature of business/activity of the company

   (I) Business of biotechnology

   (II) Manufacture/production of any eligible article or thing under sub-section (2AB) of section 35 of the Act. (Please specify)

Part A

1. Annual production of the eligible products of the company during the past three years.
2. Proposed objectives of scientific research contemplated by the company.
3. Whether the nature of the business is related to the proposed objectives of the scientific research contemplated by the company.
4. Details of the nature of existing in-house Research and Development facilities specifying whether the in-house Research and Development facility is adequate for carrying out scientific research.
5. Registration number, date and validity of recognition granted by Department of Scientific and Industrial Research to the in-house Research and Development centre of the company.
6. Whether agreement for co-operation and Research and Development facility and for audit of the accounts maintained for that facility entered into.

Part B

1. Assessment year
2. Previous year
3. Location of the research and development facility
4. Annual production of the eligible products during the year
5. Details of expenditure: (in Rs. Lakhs)

   A. (i) Land

   (ii) Buildings

B. Capital expenditure:

(i) Equipment

(ii) Others

(iii) Total

C. Revenue expenditure:

(i) Expenditure directly related to research and development

(a)......................

(b)......................

(c)......................

(ii) Total

D. Total expenditure on the approved research and development centre (excluding land and building)

E. Details of assets disposed of/transferred

I certify that the above details are true and correct to the best of my knowledge and belief.

....

Signature of Secretary, Department of Scientific and Industrial Research

Date:...........

Place:...........";

(c) after Form No.3CL, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM No.3CLA

[*See* rule 6]

Report from an accountant to be furnished under sub-section (2AB) of section 35 of the Act relating to in-house scientific research and development facility

1. *I/We have audited the accounts of the in-house research and development centre of M/s______________ located at ______________ which is approved under section

35(2AB) of the Act by the prescribed authority (Secretary, Department of Scientific and Industrial Research), vide Order No...........dated.........

2. *I/We certify that:

(a) The company has maintained separate accounts for the research and development centre approved by Department of Scientific and Industrial Research under sub-section (2AB) of section 35 of the Act.

(b) The accounts have been satisfactorily maintained. The expenditure certified is also in consonance with Department of Scientific and Industrial Research guidelines.

3. The expenditure of Rs............ (Revenue Rs.....; Capital Rs....; Land and Building Rs...; others Rs.....) reported for the financial year .... relevant to the assessment year .... is correct to the best of my/our knowledge and belief as per the result of the audit of the approved research and development centre carried out by me/us. Also the research and development capital expenditure is reflected on page ..... and revenue expenditure on page....... in the audited financial statement/annual report.

....

Signature of Accountant**

Name of the Accountant

Address of Accountant

Membership No:

Date:............

Place:............"

Notes:

1. * Delete whichever is not applicable.
2. ** This report has to given by an Accountant-
   Accountant means an accountant as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.";

(d) in Form No.3CM,—

(i) after item 5, the following shall be inserted, namely:—

"6. Registration number, date and validity of recognition granted by Department of Scientific and Industrial Research to the in-house Research and Development centre of the company.";

(ii) for the words and brackets "Director General (Income-tax Exemptions)" occurring at the end, the words "Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner

of Income-tax or Principal Director General of Income-tax or Director General of Income-tax having jurisdiction over the company" shall be substituted.

[Notification No.29/2016, F.No.142/19/2015-TPL]

(PITAMBAR DAS)
DIRECTOR (TAX POLICY AND LEGISLATION)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O.969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number S.O.1262(E), dated the 30/03/2016.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 28 अप्रैल, 2016

आय-कर

का.आ. .... (अ)--केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 2016 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 में,--

(क) उपनियम (7) में "महानिदेशक (आय-कर छूट)" शब्द और कोष्ठक, जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर "प्रायोजक पर अधिकारिता रखने वाला प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त या मुख्य आय-कर आयुक्त या प्रधान आय-कर महानिदेशक या आय-कर महानिदेशक" रखा जाएगा ;

(ख) उपनियम (7क) में,--

(अ) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) विहित प्राधिकारी इलैक्ट्रानिकी रूप में,--

(i) प्ररूप सं. 3गठ के भाग क में आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा के अनुमोदन के संबंध में ;

(ii) पूर्व वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर उपगत व्यय के परिमाण और जो प्ररूप सं. 3गठ के भाग ख में अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन भारित कटौती के लिए पात्र को बताते हुए,

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;

(खक) विहित प्राधिकारी द्वारा खंड (ख) में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 3गठ में रिपोर्ट ऐसी कंपनी के ऊपर अधिकारिता रखने वाले प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त या मुख्य आय-कर आयुक्त या प्रधान आय-कर महानिदेशक या आय-कर महानिदेशक को इलैक्ट्रानिकी रूप में,--

(i) खंड (ख) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट मामले की दशा में अनुमोदन अनुदत्त करने के 120 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ;

(ii) खंड (ख) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले की दशा में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 120 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ;";

(आ) खंड (ग) में "उसकी एक प्रति सचिव, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष के 31 अक्तूबर तक प्रस्तुत की जाएगी" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप सं. 3गठक में लेखापरीक्षा रिपोर्ट इलैक्ट्रानिकी रूप में सचिव, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष के लिए आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (7क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"8. इस नियम के प्रयोजनों के लिए प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) डाटा के सुरक्षित कैप्चर और पारेषण का सुनिश्चय करने के लिए प्रक्रियाएं, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति में सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी होगा ।"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 2 में,--

(क) प्ररूप सं. 3गट में,--

(i) भाग क में, मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"3. कंपनी के ऊपर अधिकारिता रखने वाले प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त या मुख्य आय-कर आयुक्त या प्रधान आय-कर महानिदेशक या आय-कर महानिदेशक का पता, फोन नं. ।

3अ. कृपया कंपनी की प्रकृति और कारबार/कार्यकलाप को विनिर्दिष्ट करें–

(क) जैव प्रौद्योगिकी कारबार ;

(ख) वस्तु या चीजों का विनिर्माण/उत्पादन (कृपया उत्पाद विनिर्दिष्ट करें) ।";

(ii) भाग ख में,--

(अ) मद (ii) और मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) प्रथम पक्षकार द्वारा पूर्वोक्त अनुसंधान और विकास सुविधा का अनन्य रूप से उपयोग अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए या किसी पात्र चीज या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन के लिए किया जा रहा है,

(iii) प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार को अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन जैव प्रौद्योगिकी या किसी पात्र चीज या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य को करने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेगा,";

(आ) खंड (ग) में, मद (v) में, "आय-कर महानिदेशक (छूट) साठ दिन की अवधि के भीतर" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर "प्रथम पक्षकार के ऊपर अधिकारिता रखने वाला प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त या मुख्य आय-कर आयुक्त या प्रधान आय-कर महानिदेशक या आय-कर महानिदेशक 120 दिन की अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) भाग ग में मद (iii) और मद (iv) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन जैव प्रौद्योगिकी या किसी पात्र चीज या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य को करने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करना ;

(iv) सुनिश्चित करना कि कंपनी अधिनियम की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी उत्पाद का विनिर्माण नहीं करती है ;

(v) सुनिश्चित करना कि कंपनी वार्षिक रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए और आय-कर की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए तैयार की गई कंपनी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी में अनुसूचियों/लेखाओं पर टिप्पणों में आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा के लिए पूंजी और राजस्व व्यय को उपदर्शित करेगी ;

(vi) आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (2) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख को या उससे पूर्व अनुमोदित अवधि के लिए उपाबंध 1 और उपाबंध 2 के अनुसार प्रत्येक वर्ष सूचना प्रस्तुत करेगी ;

(vii) सुनिश्चित करना कि अनुमोदित सुविधा द्वारा अर्जित आस्तियों का उपयोग केवल अनुमोदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा और उनका निपटान सचिव, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।";

(iv) भाग ग के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

उपाबंध - 1

(क) अधिनियम की धारा 35 (2कख) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रत्येक अनुसंधान और विकास सुविधा के संबंध में सूचना पृथक् रूप से प्रस्तुत की जानी है ।

1. कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम और पता
2. कंपनी का स्थायी लेखा संख्या
3. पूर्व वर्ष
4. निर्धारण वर्ष
5. विहित प्राधिकारी को अनुमोदन के समय दर्शित प्रत्येक परियोजना की प्रगति पर एक संक्षिप्त टिप्पण । मूल रूप से उपदर्शित परियोजनाओं के स्कोप के संबंध में किन्हीं परिवर्तनों पर प्रकाश डाला जा सकता है ।
6. पूर्व वर्ष के दौरान शुरू की गई किन्हीं अतिरिक्त परियोजनाओं के ब्यौरे
7. पूर्व वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास अवसंरचना में परिवर्तनों, यदि कोई हों, के ब्यौरे
8. पूर्व वर्ष के दौरान वाणिज्यकृत की गई अनुसंधान और विकास उपलब्धियों और प्रौद्योगिकीयों के ब्यौरे
9. पूर्व वर्ष के दौरान अभिप्राप्त और/या फाइल किए गए पेटेंट के ब्यौरे
10. अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र में किन्हीं अन्य परिवर्तनों के ब्यौरे

मैं, प्रमाणित करता हूँ कि पूर्वोकत ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं ।

कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम, पदनाम और पता)

तारीख :

स्थान :

उपाबंध - 2

अधिनियम की धारा 35 (2कख) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अनुसंधान और विकास सुविधा पर उपगत व्यय के ब्यौरे

1. निर्धारण वर्ष
2. पूर्व वर्ष
3. अनुसंधान और विकास सुविधा की अवस्थिति
4. व्यय के ब्यौरे : (लाख रुपए में)

अ. (i) भूमि

(ii) भवन

आ. पूंजी व्यय :

(i) उपस्कर

(ii) अन्य

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

(iii) योग

इ. राजस्व व्यय :

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

योग

ई. अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र पर कुल व्यय (जिसके अंतर्गत भूमि और भवन नहीं है)

उ. निपटान की गई/अंतरित आस्तियों के ब्यौरे

मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्वोक्त दावा किया गया व्यय विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार है और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है ।

कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम, पदनाम और पता)

तारीख :

स्थान :";

(ख) प्ररूप सं. 3गठ के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

प्ररूप सं. 3गठ

[नियम 6 देखें]

विहित प्राधिकारी द्‌वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2कख) के अधीन विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

1. कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम और पता, जिसके अंतर्गत टेलेक्स/फैक्स/फोन नं. है
2. कंपनी का स्थायी लेखा संख्यांक (पेन)
3. कंपनी के प्रधान अधिकारी का नाम और पदनाम
4. कंपनी के कारबार/कार्यकलाप की प्रकृति

   (I) जैव प्रौद्‌योगिकी कारबार

   (II) अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन किसी पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण/उत्पादन (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

भाग क

1. पिछले तीन वर्ष के दौरान कंपनी के पात्र उत्पादों का वार्षिक उत्पादन
2. कंपनी द्‌वारा ईप्सित वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रस्तावित उद्‌देश्य
3. क्या कारबार की प्रकृति कंपनी द्‌वारा ईप्सित वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रस्तावित उद्‌देश्यों से संबंधित है
4. यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि क्या आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा वैज्ञानिक अनुसंधान को करने के लिए पर्याप्त है, आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं की प्रकृति के ब्यौरे
5. कंपनी के आंतरिक अनुसंधान और विकास केंद्र को विज्ञान और औद्‌योगिक अनुसंधान विभाग द्‌वारा अनुदत्त मान्यता की रजिस्ट्रेशन संख्या, तारीख और विधिमान्यता
6. क्या सहयोग और अनुसंधान और विकास सुविधा तथा लेखाओं की लेखापरीक्षा का उस सुविधा के लिए कोई करार किया गया है

भाग ख

1. निर्धारण वर्ष
2. पूर्व वर्ष
3. अनुसंधान और विकास सुविधा की अवस्थिति
4. वर्ष के दौरान पात्र उत्पादों का वार्षिक उत्पादन
5. व्यय के ब्यौरे : (लाख रुपए में)

अ. (i) भूमि

(ii) भवन

आ. पूंजी व्यय :

(i) उपस्कर

(ii) अन्य

(iii) योग

इ. राजस्व व्यय :

(i) अनुसंधान और विकास से प्रत्यक्षत: संबंधित व्यय

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

योग

ई. अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र पर कुल व्यय (जिसके अंतर्गत भूमि और भवन नहीं है)

उ. निपटान की गई/अंतरित आस्तियों के ब्यौरे

मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्वोक्त ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है ।

....

विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :";

(ग) प्ररूप सं. 3गठ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

प्ररूप सं. 3गठक

[नियम 6 देखें]

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास सुविधा से संबंधित अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन लेखापाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

1. *मैंने/हमने मैसर्स .... के .... में अवस्थित अनुसंधान और विकास केंद्र, जिसे विहित प्राधिकारी (सचिव, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) द्वारा आदेश सं. .... तारीख .... द्वारा अधिनियम की धारा 35(2कख) के अधीन अनुमोदित किया गया है, के लेखाओं की लेखापरीक्षा कर ली है ।

2. *मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि :

(क) कंपनी ने अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र के पृथक् लेखे रखें हैं ।

(ख) लेखाओं को समाधानप्रद रूप से रखा गया है । प्रमाणित किया गया व्यय भी विज्ञान और अनुसंधान विभाग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार है ।

3. .... रुपए (............. राजस्व रुपए .... ; .... पूंजी रुपए .... ; भूमि और भवन रुपए .... ; अन्य रुपए ....), जिसे निर्धारण वर्ष .... से सुसंगत .... वित्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया है, मेरे/हमारे द्वारा अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र की की गई लेखा परीक्षा के परिणाम के अनुसार मेरी/ हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है । संपरीक्षित वित्तीय विवरण/वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ .... पर अनुसंधान और विकास पूंजी व्यय तथा पृष्ठ .... पर राजस्व व्यय भी परिलक्षित किया गया है ।

....

लेखापाल के हस्ताक्षर**

लेखापाल का नाम

लेखापाल का पता

सदस्यता संख्या

तारीख :

स्थान :"

टिप्पण :

1. *जो लागू न हों उसे काट दें ।
2. **यह रिपोर्ट लेखापाल द्वारा दी जानी है -

लेखापाल से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई लेखापाल अभिप्रेत है ।";

(घ) प्ररूप 3गड में,--

(i) मद सं. 5 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"6. कंपनी के आंतरिक अनुसंधान और विकास केंद्र को विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा अनुदत्त मान्यता की रजिस्ट्रीकरण संख्या, तारीख और विधिमान्यता ।";

(ii) अंत में आने वाले "महानिदेशक (आय-कर छूट)" शब्द और कोष्ठक के स्थान पर, "कंपनी के ऊपर अधिकारिता रखने वाला प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त या मुख्य आय-कर आयुक्त या प्रधान आय-कर महानिदेशक या आय-कर महानिदेशक" शब्द रखे जाएंगे ।

अधिसूचना सं. 29 /2016 (फा.सं. 142/19/2015-टीपीएल)

पीताम्बर दास

(पीतांबर दास)

निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से अधिसूचना सं का.आ. 1262 (अ), तारीख 30/03/2016 द्वारा संशोधित किए गए ।